

निर्णय राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प देवरीजोघ
द्वारा श्री हीरालाल वर्मा आर.ए.एस.उपखण्ड अधिकारी छीपावडौद जिला बारां
प्रकरण संख्या :- 61/2017 दावा
दायरा दिनांक :- 47.04.2017
निर्णय दिनांक :- 30.06.2017

उनवान

1. जगन्नाथ पुत्र चतरा
2. जमनालाल पुत्र चतरा
3. केदारलाल पुत्र चतरा जाति काछी निवासी छीपावडौद तहसील छीपावडौद

बनाम

राज्य सरकार जर्गे तहसीलदार छीपावडौद जिला बारां

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट
निर्णय दिनांक :- 30.06.2017

अभिभाषक उपस्थित :- 1. श्री ललित कुमार शर्मा

अभिभाषक वादी द्वारा वाद पत्र अन्तर्गत धारा 89 आर.टी.एक्ट विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि आराजी ख0नं0 150 रकवा 05.04 बीघा मौजा छीपावडौद में स्थित हैं जो वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काशत में दर्ज हैं। उक्त वर्णित आराजियात की सीमा व मेड के संबन्ध में पडौसी काशतकारों से हमेशा विवाद बना रहता है तथा पडौसी काशतकार वादी के खाते व कब्जे की भूमि की मेडे तोडने के लिए प्रयासरत रहते हैं इसलिए वादी उक्त विवाद को हमेशा के लिए खत्म करवाना चाहता है। दिनांक 22.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात के आसपास के व्यक्तियों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास किया तो वादी ने मना किया तो उन्होने आयन्दा उक्त भूमि पर जबरन कब्जा करने की धमकी दी। वाद कारण प्रथम बार दिनांक 22.06.2012 को उक्त वर्णित आराजियात पर पडौसी काशतकारों द्वारा जबरन कब्जा करने का प्रयास करने पर तथा उसी दिन वादी द्वारा प्रतिवादी से विवादित आराजियात का सीमा ज्ञान करने से मना करने पर उत्पन्न हुआ। वादी द्वारा वाद स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्गे सम्मन तलव किया गया। वादी अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम छीपावडौद संवत 2065-68 खाता संख्या 163 पेश व गई। पक्षकारान को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प में उपस्थित होने के लिए नोति जारी किये गये। वादी राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प छीपावडौद पर उपस्थित हु वादीगण का कथन है कि विवादित आराजी वादी के खातेदारी की हैं। पडौसी खातेदारान जबरन तोडकर कब्जा करने का प्रयास करते हैं। इसलिए आपने खाते एवं कब्जे काशत की आराजी सीमाज्ञान करवा पत्थरगढी करवाना चाहता हैं। जिससे पडौसी काशतकारों से किसी प्रकार का कोई


उपखण्ड अधिकारी
छीपावडौद जिला बारां

(2)


विवाद उत्पन्न नहीं हो सके। प्रतिवादी परोकार सरकार का कथन है कि वादी अपने खाते की आराजी का सीमाज्ञान कराकर पत्थरगढी करवाना चाहता है तो प्रतिवादी को कोई आपत्ति नहीं है।

वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया पत्रावली एवं शिकाई का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम छीपाबडौद संवत् 2065-68 के आराजी ख0न0 150 रकवा 504 बीघा वादीगण के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में दर्ज है। वादीगण अपने खाते एवं कब्जे काश्त की आराजी का सीमाज्ञान करा कर पत्थरगढी करवाना चाहता है जिससे पडौसी काश्तकार व खातेदारी से किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। वादी का वाद स्वीकार कर विवादित आराजी का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार कम्य छीपाबडौद पर स्वीकार किया जाता है। विवादित आराजी ग्राम छीपाबडौद के ख0न0 150 रकवा 504 बीघा का सीमाज्ञान कर पत्थरगढी कराने के आदेश तहसीलदार छीपाबडौद दिये जाते है। तदनुरूप डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय लिखाया जाकर सुनाया गया।


उपस्थित न्याय न्याय
छीपाबडौद जिला बारां
छीपाबडौद जिला बारां